

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

BOT पद्धति से यूनीपोल स्थापित करने हेतु


क्रमांक - 876/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2021

रायपुर दिनांक .../.../...9.../2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के अन्तर्गत, कटोरातालाब गार्डन के अंदर बी.ओ.टी. पद्धति से 05 वर्ष के लिए यूनीपोल (साईज 40'x30' (डबल फेसिंग)) स्थापित करने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 29/9/21 को अपरान्ह 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत लिफाफा 'अ' में (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 29/9/21 को अपरान्ह 5.00 बजे को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रुपये, वापसी योग्य नहीं				
ठेका अवधि	05 वर्ष				
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन				
क्र.	यूनीपोल स्थापना हेतु स्थल	यूनीपोल साईज	संख्या	न्यूनतम आफसेट दर (प्रथम वर्ष के लिए)	अमानत राशि
1.	कटोरातालाब गार्डन के अंदर	40'x30' (Double facing)	1	15.00 लाख	2.00 लाख

टीप:- निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।


नगर निवेशक
नगर पालिक निगम
रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के अन्तर्गत, कटोरातालाब गार्डन के अंदर बी.ओ.टी. पद्धति से 05 वर्ष के लिए यूनीपोल स्थापित करने व विज्ञापन करने का कार्य।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..... दिनांक

—000—

क्र.	यूनीपोल स्थापना हेतु स्थल	यूनीपोल साईज	संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (प्रथम वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रु. में)
1.	कटोरातालाब गार्डन के अंदर	40'x30' (Double facing)	1	15.00 लाख	

निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क्र. एवं मोबाइल क्र. :-

अमानति राशि रु. 2.00 लाख :-
के एफ.डी.आर. का विवरण

BOT पद्धति से यूनीपोल स्थापित करने हेतु आमंत्रित

निविदा दिनांक 14/12 की शर्तें

1. निविदा द्वि-लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी किया गया हो एवं जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. यूनीपोल पर बी.ओ.टी. (Built Operate & Transfer) के आधार पर विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा, 05 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् स्थापित यूनीपोल स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे। इस समय यूनीपोल की स्थिति स्ट्रक्चर सर्टीफिकेट के अनुसार होनी चाहिए।
5. अनुबंध 05 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की कमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
6. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से दो माह की अवधि यूनीपोल स्थापना हेतु दी जायेगी। तत्पश्चात् अर्थात् यूनीपोल स्थापना हेतु दी गई अवधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जावेगा। स्थल उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा 05 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर, स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 70% राशि (30% + 20%+20%) 3-3 माह के अंतराल में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का पूर्ण किराया वर्ष प्रारंभ होने के 01 माह के भीतर 5% वृद्धि सहित छः माही जमा करना होगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
8. यूनीपोल में जमीन सतह से ऊंचाई न्यूनतम 21 फीट के बाद विज्ञापन फलक (40'x30' डबल फेसिंग) लगाने होंगे। विज्ञापन फलक की साईज किसी भी स्थिति में 40'x30' से अधिक नहीं होना चाहिए, यूनीपोल के दोनों फलक में विज्ञापन किया जा सकेगा।

9. यूनीपोल का स्ट्रक्चरल डिजाइन सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन NIT से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन्हें यूनीपोल की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आई.एस.आई. के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा और समय समय पर विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय सुरक्षा एवं अन्य नियमों का परिपालन एवं उसके अनुसार परिवर्तन निविदाकार को अपने व्यय पर करना होगा।
10. यूनीपोल में तड़ित चालक का प्रावधान करना होगा एवं उपरी भाग पर लाल रंग का विद्युत बल्ब लगाना होगा। जो कि **Blinking** होगा **Red Safty Blinker**.
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
12. यूनीपोल आंधी-तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयों के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
13. यूनीपोल स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा।
14. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
15. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल स्थापित करने एवं उस पर प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
16. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही यूनीपोल लगाना होगा। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
17. अन्य दूसरों विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
18. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनीपोल में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
19. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
21. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का ज़मा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
22. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
23. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।



नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, रायपुर